

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 28 सन् 2013)

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2013

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहलाएगा।
(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन तारीख से प्रवृत्त होगा।
संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ
2. छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005,) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है,) की अनुसूची-1 के सरल क्रमांक 25 से संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्न प्रविष्टि प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :
अनुसूची-1 का संशोधन.
“(एक) मेडिसिनल एंड टायलेट प्रिपरेशन्स (एक्साइज ड्यूटीज) एक्ट, 1955 (क. 16 सन् 1955) की अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई औषधीय तथा प्रसाधनीय निर्मितियों, तथा
(दो) एफ.एल.-10 अनुज्ञापिधारी वितरक द्वारा विक्रय की जाने वाली विदेशी तथा भारत में निर्मित विदेशी मदिरा”
से भिन्न माल जिस पर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क. 2 सन्

1915) के अधीन शुल्क उद्गृहित किया जाता है या उद्गृहित किया जा सकता है। ”

3. मूल अधिनियम की अनुसूची-2 के भाग-3 में सरल क्रमांक 6 के पश्चात निम्नलिखित सरल क्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टि जोड़ी जाए, अर्थात्:

अनुसूची-2 का संशोधन.

"7	एफ.एल.-10 अनुज्ञप्तिधारी व्यवसायी द्वारा विक्रय की जाने वाली विदेशी तथा भारत में निर्मित विदेशी मदिरा	-	7"
----	---	---	----

CHHATTISGARH ACT
(No. 28 of 2013)

The Chhattisgarh Value Added Tax (Amendment) Act, 2013.

An Act further to amend the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-fourth Year of the Republic of India, as follows:-

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Value Added Tax (Amendment) Act, 2013. **Short title and commencement.**
(2) It shall come into force from the date of its publication in Official Gazette.
2. For the Entry of Serial No. 25 of Schedule-I of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), (hereinafter referred to as the Principal Act), the following shall be substituted, namely:- **Amendment of Schedule-I**
“Goods on which duty is or may be levied under the Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. 2 of 1915), other than-
 - (i) Medicinal and Toilet preparations specified in the Schedule to the Medicinal and Toilet Preparations (Excise Duties) Act, 1955 (No. 16 of 1955), and
 - (ii) Foreign and Indian-made foreign liquor sold through dealer holding F.L.-10 license.”
3. After Entry No. 6 of Part-III of Schedule-II of the Principal Act, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely: **Amendment of Schedule-II.**

“7	Foreign and Indian-made foreign liquor sold through dealer holding F.L.-10 license	-	7”
----	--	---	----